

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अक्टूबर-नवम्बर, 2023 के लिये मतदान दिनांक 05.11.2023 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होंगे।

निर्वाचन क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है। पंच/सरपंच चुनाव की मतगणना इनके मतदान के दिन ही, मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् होने के कारण, संबंधित क्षेत्रों में मतगणना के समय भी सूखा दिवस घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा उनके 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 03.11.2023 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 05.11.2023 को सांय 05.00 बजे तक व जहां पंच एवं सरपंच के चुनाव होने हैं, वहां दिनांक 05.11.2023 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 7(2)(5)पंचा./रानिआ/ 2023/ 4600

दिनांक : 06.10.2023

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (प्रतापगढ़ को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(नारायण सिंह)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव